न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 70 / 2017

शारदा प्रसाद पुत्र दीपचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा ब्राहम्ण तहसील डीग

.....प्रार्थी

बनाम

1–तेजराम पुत्र दीपचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा ब्राहम्ण तहसील डीग

.....अप्रार्थी असल

2–पूरनचंद पुत्र दीपचन्द
3–रामबाबू
4–लक्ष्मीरायण पुत्रान भगवत जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा ब्राहम्ण तहसील
5–त्रिभूषण डीग जिला भरतपुर
6–हेमवती पुत्री भगवत पत्नी पूरनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी सैनवा तहसील छाता जिला मथुरा यूपी
7–सुमन पुत्री भगवत पत्नी पप्पू जाति ब्राहम्ण निवासी भदाल (राल) तहसी छाता जिला मथुरा यूपी

.....अप्रार्थीगण तरतीवी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुकदमा उनवानी तेजराम बनाम शारदा प्रसाद वगे. दावा अन्तर्गत आर.टी.एक्ट को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने।

———————

निर्णय दिनांक 23.1.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एसडीओ डीग के न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी से राजीनामा करने को कहा है नहीं तो इस मुकदमें का फैसला तेरे खिलाफ करुंगा। तारीख पेशी के दिन ही गैरसायल तेजाराम को एस.डी.ओ. के चैम्बर में घुसते हुये देखा और काफी देर बाद निकल कर बाहर आया था। और गांव में धमकी दी की अब मुकदमा मेरे पक्ष में होगा। पीठासीन अधिकारी डीग से न्याय मिलने की काई उम्मीद नहीं है। विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी डीग से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी0 की ओर से जबाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

.....2

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त टिप्पणी के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा निर्णय में ना होकर, वास्ते तलबी असल वसीयतनामा एवं साक्ष्यवादी के स्तर पर विचाराधीन है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नही किया गया है। जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। अस्तु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official